प्रेसनोट दिनांक 24.09.2025
थाना अलीगंज जनपद बरेली

थाना अलीगंज #bareillypolice द्वारा 02 शातिर मादक पदार्थ तस्करों को अवैध स्मैक, अफीम, पुलिस वर्दी, मोबाइल फोन, एक वैगनआर कार आदि सहित किया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचयः-

दिनांक 24.09.2025 को थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा अभि0गण **1. मुनीश पुत्र सोहनलाल नि0 ग्राम खजुआई थाना विशारतगंज, बरेली उम्र करीब 21 वर्ष 2. हजारी लाल पुत्र नंदराम नि0 कमालपुर थाना अलीगंज, बरेली उम्र करीब 32 वर्ष** को मय नाजयाज अफीम व स्मैक व पुलिस की वर्दी, वैगनआर कार, मोबाइल फोन आदि सहित अलीगंज अखा मोड़ की तर जाने वाली गैनी बरेली मार्ग पर से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 278//2025 धारा 8/18/21 एनडीपीएस एक्ट व 205 बीएनएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मुनीश व हजारी लाल उपरोक्त को मा0न्या0 के समक्ष अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु पेश किया जाएगा।

घटना के सम्बन्ध में तथ्यों का सारगर्भित विवरणः-

दिनांक 23.09.2025 को उ0नि0 श्री प्रणव श्रोत्रिय, उ0नि0 मुकेश कुमार मय हमराही हे0कां0 538 रोहित , कां0 347 अखिलेश सिंह थाना अलीगंज, बरेली देखरेख शान्ति व्यवस्था गैनी तिराहे पर चैकिंग कर रहे थे, कि तभी मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि वैगनार कार में दो व्यक्ति नशीला पदार्थ लेकर अखा मोड़ की तरफ से आ रहे हैं तथा ये लोग पुलिस की वर्दी पहन कर नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं। सूचना पर विश्वाष कर पुलिस टीम गैनी तिराहे से अखा मोड़ की तरफ चले तो सामने से वैगनार कार आती दिखाई दी, जो पुलिस टीम को देखकर मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे, पुलिस टीम द्वारा कार को रोक लिया और दोनों व्यक्तियों को गैनी तिराहे से करीब 200 मीटर आगे अखा मोड़ की तरफ जाने वाली गैनी बरेली मार्ग सड़क पर दिनांक 24.09.2025 समय करीब 02.27 बजे पकड़ लिया, वैगनार कार की ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम मुनीष पुत्र सोहनलाल निवासी ग्राम खजुआई थाना बिसारतगंज (बरेली) उम्र करीब 21 वर्ष तथा ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम हजारीलाल पुत्र नंदराम निवासी कमालपुर थाना अलीगंज बरेली उम्र करीब 32 वर्ष बताया। **गाड़ी की तलाशी लेने पर एक उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की वर्दी मिली जिसके बारे में पूछने पर मुनीष ने बताया कि मैं पुलिस की वर्दी पहन कर नशीले पदार्थों की तस्करी करता हूं, जिससे कोई मुझे रोकता टोकता नहीं है। मुनीष उपरोक्त से एक 0PP0 कंपनी का स्मार्ट फोन, 52 ग्राम स्मैक, 313 ग्राम अफीम, 3000/- रु0 नगद तथा हजारीलाल उपरोक्त से एक वन प्लस कम्पनी का स्मार्टफोन, 53 ग्राम स्मैक व 382 ग्राम अफीम तथा दोनो अभियुक्तों के कब्जे से एक वैगनआर कार बरामद हुई।** बरामदगी के आधार पर दोनो अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 278//2025 धारा 8/18/21 एनडीपीएस एक्ट व 205 बीएनएस पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त मुनीश व हजारी लाल उपरोक्त को मा0न्या0 के समक्ष अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु पेश किया जाएगा।

बरामदगी का विवरण-

1. एक वैगनार कार जिसके आगे नंबर प्लेट पर रजि0नं0 UP25DE1053 अंकित।
2. अभियुक्त मुनीष पुत्र सोहनपाल से एक 0PP0 कंपनी का स्मार्ट फोन, 52 ग्राम स्मैक व 313 ग्राम अफीम बरामद व 3000/- रुपये नकद बरामद हुए एंव एक जोड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की वर्दी बरामद।
3. अभियुक्त हजारीलाल पुत्र नंदराम से एक वन प्लस कम्पन्नी का स्मार्ट फोन व 53 ग्राम स्मैक व 382 ग्राम अफीम बरामद हुई ।

पूछताछ विवरण -

दोनो अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि हमारे पास स्मैक व अफीम थी, इसलिए हम दोनो डर गये थे और कार को मोड़कर भागने लगे थे। मुनीष पुलिस की वर्दी पहनता था, जिससे हम लोगो को कोई रोकता टोकता नही था, जिस कारण हम दोनो बिना रोक टोक के स्मैक व अफीम बेचते थे। रात भी हम बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस ने हम दोनो को पकड़ लिया।

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

1.मु0अ0सं0 278/2025 धारा 8/18/21 NDPS ACT व 205 बीएनएस थाना अलीगंज, बरेली।

पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जगत सिंह थाना अलीगंज, बरेली।
2. उ0नि0 श्री प्रणव थाना अलीगंज, बरेली।
3. उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना अलीगंज, बरेली।
4. हे0कां0 538 रोहित सिंह थाना अलीगंज, बरेली।
5. कां0 347 अखिलेश सिंह थाना अलीगंज, बरेली।